

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF TRANSPORT (PARIVAHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF RAILWAYS (RAIL VIBHAG)
(RAILWAY BOARD)

RBE No./319 /85.

NO.E(NG)I-85-PMI-15(RAEC-78) New Delhi, dt 6.12.1985.

The General Managers,
All Indian Railways.

Subject: Filling up the posts of Safety Counsellors on Railways.

....

Reference this department's letter No.E(NG)I-73-PMI-220 dated 22/9/1973 (copy enclosed for ready reference) on the above mentioned subject.

2. In this Department's letter referred to above, in pursuance of recommendation made by RAEC-'68(Kunzru Committee), instructions were issued that posts of Safety Counsellors on the Railways should be treated as ex-cadre posts. It was further indicated in these instructions that persons selected for these posts should have adequate educational background and practical experience and special aptitude for safety work and that the selection was to be confined to 2 grades below the grade of Safety Counsellors. However, the post of Safety Counsellors has since been included in the safety categories vide this Deptt.'s letter No.E(NG)I-75PMI/44 dt.31-5-82. As the Railway Administrations are aware the extant instructions regarding promotion in safety categories enjoin that a Railway servant should have completed the minimum of two years service in the immediate lower grade before he is promoted.

3. The Railway Accident Enquiry Committee, 1978 (Sikri Committee) in part-II of their report have made the following recommendations on the above subject:-

"247. Safety Counsellors should be appointed after a careful selection so as to ensure that they have, in addition to some technical background, a proper understanding of human nature and a flair for counselling work."

4. The Department of Railways have considered the matter. They desire that the recommendation made by the RAEC-1978 as referred to above should also be kept in view while conducting-

Contd...2/-

भारत सरकार
परिवहन मंत्रालय
रेल विभाग(रेलवे बोर्ड)

RB.ENO.319-85./

सं० ई(एन जी) 1-85-पीएम 1-15(आरए ई सी-78)

नयी दिल्ली, दिनांक 6.12.85

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।

विषय:- रेलों पर संरक्षा परामर्शदाताओं के पदों की भरना।

- - - - -

यह पत्र उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 22.9.73 के पत्र सं० ई(एन जी) 1-73-पीएम 1-220(प्रतिलिपि तत्काल हवाले के लिए संलग्न है) के संदर्भ में है।

इस विभाग के उपर्युक्त पत्र में, रेल दुर्घटना जांच समिति-68(कुंजरु समिति) द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसरण में अनुदेश जारी किये गये थे कि रेलों पर संरक्षा परामर्शदाताओं के पदों की संवर्ग ग्राह्य पदों के रूप में माना जाये। इन अनुदेशों में यह भी कहा गया था कि इन पदों के लिए चुने गये व्यक्तियों की पर्याप्त शैक्षिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए और उन्हें व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए तथा संरक्षा कार्य में विशेष अभिरूचि होनी चाहिए और यह कि चयन संरक्षा परामर्शदाताओं के ग्रेड के दो ग्रेड नीचे तक सीमित रखा जाये। लेकिन, इस विभाग के 31.5.82 के पत्र सं० ई(एन जी) 1-75-पीएम 1/44 के द्वारा संरक्षा परामर्शदाताओं के पद संरक्षा कोटियों में शामिल किये जा चुके हैं। जैसा कि रेल प्रशासन जानते हैं संरक्षा कोटियों में पदोन्नति से संबंधित वर्तमान अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि रेल कर्मचारी की उसकी पदोन्नति से पहले अगले निचले ग्रेड में कम से कम दो वर्ष की सेवा होनी चाहिए।

रेल दुर्घटना जांच समिति, 1978(सीकरी समिति) ने अपनी रिपोर्ट के भाग-II में उपर्युक्त विषय पर निम्नलिखित सिफारिश की है:-

"247 संरक्षा परामर्शदाताओं की सावधानीपूर्वक चयन करने के वाद नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें कुछ तकनीकी जानकारी होने के साथ-साथ मानव प्रकृति की समुचित जानकारी है और वे परामर्श के कार्य में सुन्दरी हैं"।